

# कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) नागौर

क्रमांक:- सहायता/लेखा/2025/2867

दिनांक:- 09/10/2025

## प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

शासन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ.8(09)आप्रएवंसहा/बाढ़/प्रस्ताव/2025/राजकाज 18203641 दिनांक 09.10.2025 द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 152/2025-2026 की पालना मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

### 1. विद्यालय भवनों हेतु:-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समसा नागौर तहसील व ब्लॉक खींवसर के 218 कार्यों हेतु राशि 436 लाख, अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय, समसा नागौर, तहसील डेगाना ब्लॉक भैरुन्दा के 27 कार्यों हेतु राशि 54 लाख, अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समसा, नागौर तहसील रियांबडी ब्लॉक भैरुन्दा के 73 कार्यों हेतु राशि 146 लाख, अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समसा, नागौर तहसील व ब्लॉक रियांबडी के 102 कार्यों हेतु राशि रुपये 204 लाख, अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समसा, नागौर तहसील व ब्लॉक मेड़ता के 57 कार्यों हेतु राशि 114 लाख, अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समसा, नागौर तहसील व ब्लॉक मूण्डवा के 128 कार्यों हेतु राशि 256 लाख, अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समसा, नागौर तहसील व ब्लॉक नागौर के 286 कार्यों हेतु राशि 572 लाख एवं अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समसा, नागौर तहसील मेड़ता के 133 कार्यों हेतु राशि 266 लाख कुल 1024 कार्यों की मरम्मत हेतु **राशि रुपये 2048 लाख (अक्षरे बीस करोड अडतालीस लाख रुपये)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

### 2. चिकित्सा भवनों हेतु:-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त चिकित्सा भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुर्स्थापना हेतु सानिवि, नागौर तहसील नागौर के 27 कार्यों हेतु राशि 54 लाख सानिवि नागौर तहसील खींवसर के 22 कार्यों हेतु राशि 44 लाख, सानिवि डेगाना तहसील सांजू के 14 कार्यों हेतु 28 लाख, सानिवि डेगाना तहसील डेगाना के 20 कार्यों हेतु 39.75 लाख, सानिवि, जायल तहसील डेह के 31 कार्यों हेतु राशि 62 लाख, सानिवि जायल के 58 कार्यों हेतु राशि 116 लाख, सानिवि जायल तहसील मूण्डवा के 34 कार्यों हेतु राशि 67.29 लाख सानिवि जायल तहसील जायल के 08 कार्यों हेतु राशि 15.79 लाख, सानिवि ब्लॉक डेगाना तहसील रियांबडी के 09 कार्यों हेतु राशि 17.79 लाख सानिविडेगाना तहसील रियांबडी के 04 कार्यों हेतु राशि 07.90 लाख, सानिवि मेड़ता तहसील मेड़ता के 18 कार्यों हेतु राशि 36 लाख एवं सानिवि मेड़ता तहसील रियांबडी के 14 कार्यों हेतु राशि 28 लाख कुल 259 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि **रुपये 516.52 लाख (अक्षरे रुपये पांच करोड सोलह लाख बावन हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

**Signature valid**

Digitally signed by Arun Kumar Purohi  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.10.09 11:05:57 IST  
Reason: Approved



### 3. आंगनबाडी भवनों हेतु:-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त आंगनबाडी भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु सानिवि नागौर तहसील नागौर के 52 कार्यों हेतु राशि 130 लाख, सानिवि नागौर तहसील खींवसर के 58 कार्यों हेतु राशि 145 लाख, सानिवि डेगाना तहसील सांजू के 15 कार्यों हेतु राशि 37.50 लाख, सानिवि डेगाना तहसील डेगाना के 30 कार्यालय हेतु राशि 75 लाख, सानिवि डेगाना तहसील मूण्डवा के 33 कार्यों हेतु राशि 82.02 लाख, सानिवि डेगाना तहसील रियांबडी के 09 कार्यों हेतु राशि 22.31 लाख, सानिवि मेड़ता के 25 कार्यों हेतु राशि 62.50 लाख एवं सानिवि मेड़ता तहसील रियांबडी के 15 कार्यों हेतु राशि 37.50 लाख कुल 237 कार्यों की मरम्मत हेतु **राशि 591.83 लाख (अक्षरे पांच करोड, इकरानवें लाख तिरासी हजार रुपये मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

### 4. शर्त:-

कुल 1024 विद्यालय भवनों हेतु राशि रुपये 2048 लाख, कुल 259 चिकित्सा भवनों हेतु राशि 516.52 लाख एवं कुल 237 आंगनबाडी भवनों हेतु राशि रुपये 591.83 लाख कुल 1520 कार्यों हेतु राशि 3156.35 लाख (अक्षरे रुपये इकतीस करोड छप्पन लाख पैतीस हजार रुपये मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के रेस्टोरेशन पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरांत ऑनलाईन विभाग से की जावेगी।
4. बिलों का भुगतान कार्यालय जिला कलक्टर, नागौर से किया जावेगा।
5. वे कार्य जो Defect Liability period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair and periodical repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरांत ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के रेस्टोरेशन हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
8. कार्यकारी एजेन्सी का यह दायित्व है कि कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

**Signature valid**

Digitally signed by Arun Kumar Purohi  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.10.09 17:05:57 IST  
Reason: Approved

9. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरांत बिल विपत्र कार्यालय हाजा को मय रिपोर्ट (कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार किये जाने की) प्रस्तुत करेंगे।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जाएं। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण—पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
11. आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएं।
12. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 तथा योजना दिशा—निर्देश तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएं।
13. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिये ही किया जावे।
14. विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जाएं।
15. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जाएं। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते में आहरण नहीं किया जावेगा।
16. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाएं। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावेगी।
17. कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात् करवाये गये कर्षों का कार्य पूर्णता प्रमाण—पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।
18. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्या एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जाएं।

(अरुण कुमार पुरोहित)  
जिला कलक्टर (सहायता)  
नागौर

**Signature valid**

Digitally signed by Arun Kumar Purohi  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.10.09 17:05:57 IST  
Reason: Approved

क्रमांक:- सम/2025/2868-76

दिनांक:- 07/10/2025

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शासन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, समस्त जिला नागौर।
3. अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी, नागौर।
4. कोषाधिकारी, नागौर।
5. अधिशाषी अभियंता, पीडब्ल्यूडी..... जिला नागौर।
6. आयुक्त नगर परिषद, नागौर
7. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समसा, नागौर।
8. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी.....

अति. जिला परियोजना कार्यालय, समसा नागौर, तहसील व ब्लॉक मेड़ता के विद्यालय भवन मरम्मत के विद्यालय भवन मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र.सं. 1 में बीडीओ ऑफिस हेतु 2 लाख की मांग की गयी है, जो कि नॉर्म्स अनुसार देय नहीं है। प्रस्ताव के शेष कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

नगर परिषद, नागौर तहसील नागौर के सड़क मरम्मत के प्रस्तावों में नगर परिषद के क्षेत्राधिकार के कार्य एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत नहीं होने के कारण उक्त प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये गये।

संरक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर (सहायता)  
नागौर

Signature valid

Digitally signed by Arun Kumar Purohi  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.10.09 17:05:57 IST  
Reason: Approved

**राजस्थान सरकार**  
**आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग**

क्रमांक:— एफ.8(09)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/

जयपुर, दिनांक

**प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 152/2025-26**

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु जिला कलक्टर, **नागौर** को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

**1. विद्यालय भवनों हेतु:**

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **विद्यालय भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **नागौर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 2679 दिनांक 30.09.2025 के आधार पर अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समसा, नागौर तह. व ब्लॉक खींवसर के 218 कार्यों हेतु राशि रुपये 436.00 लाख, अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समसा, नागौर तह. डेगाना ब्लॉक भैरुन्दा के 27 कार्यों हेतु राशि रुपये 54.00 लाख, अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समसा, नागौर तह. रियांबड़ी ब्लॉक भैरुन्दा के 73 कार्यों हेतु राशि रुपये 146.00 लाख, अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समसा, नागौर तह. व ब्लॉक रियांबड़ी के 102 कार्यों हेतु राशि रुपये 204.00 लाख, अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समसा, नागौर तह. व ब्लॉक मेड़ता के 57 कार्यों हेतु राशि रुपये 114.00 लाख, अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समसा, नागौर तह. व ब्लॉक मुण्डवा के 128 कार्यों हेतु राशि रुपये 256.00 लाख, अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समसा, नागौर तह. व ब्लॉक नागौर के 286 कार्यों हेतु राशि रुपये 572.00 लाख एवं अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय समसा, नागौर तह. मेड़ता के 133 कार्यों हेतु राशि रुपये 266.00 लाख, **कुल 1024 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रुपये 2048.00 लाख (अक्षरे रुपये बीस करोड़ अड़तालीस लाख मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अधधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:—

**2. चिकित्सा भवनों हेतु:**

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **चिकित्सा भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **नागौर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 2679 दिनांक 30.09.2025 के आधार पर सानिवि, नागौर तह. नागौर के 27 कार्यों हेतु राशि रुपये 54.00 लाख, सानिवि, नागौर तह. खींवसर के 22 कार्यों हेतु राशि रुपये 44.00 लाख, सानिवि, डेगाना तह. सांजू के 14 कार्यों हेतु राशि रुपये 28.00 लाख, सानिवि, डेगाना तह. डेगाना के 20 कार्यों हेतु राशि रुपये 39.75 लाख, सानिवि, जायल तह. डेह के 31 कार्यों हेतु राशि रुपये 62.00 लाख, सानिवि, जायल तह. जायल के 58 कार्यों हेतु राशि रुपये 116.00 लाख, सानिवि, जायल तह. मुण्डवा के 34 कार्यों हेतु राशि रुपये 67.29 लाख, सानिवि, जायल तह. जायल के 08 कार्यों हेतु राशि रुपये 15.79 लाख, सानिवि ब्लॉक डेगाना तह. रियांबड़ी के 09 कार्यों हेतु राशि रुपये 17.79 लाख, सानिवि, ब्लॉक डेगाना तह. रियांबड़ी के 04 कार्यों हेतु राशि रुपये 7.90 लाख, सानिवि, मेड़ता तह. मेड़ता के 18 कार्यों हेतु राशि रुपये 36.00 लाख एवं सानिवि, मेड़ता तह.

**Signature valid**

Digitally signed by Shefali Kushwaha  
Designation : Deputy Secretary To  
Government  
Date: 2025.10.09 14:10:41 IST  
Reason: Approved

**RajKaj Ref No.:**  
**18203641**

eSign 1.0



रियांबडी के 14 कार्यों हेतु राशि रूपयें 28.00 लाख **कुल 289 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 516.52 लाख (अक्षरे रूपये पांच करोड़ सोलह लाख बावन हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

### 3. आगनबाडी भवनों हेतु:-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **आगनबाडी भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलेक्टर, **नागौर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 2679 दिनांक 30.09.2025 के आधार पर सानिवि, नागौर तह. नागौर के 52 कार्यों हेतु राशि रूपयें 130.00 लाख, सानिवि, नागौर तह. खीवसर के 58 कार्यों हेतु राशि रूपयें 145.00 लाख, सानिवि, डेगाना तह. सांजू के 15 कार्यों हेतु राशि रूपयें 37.50 लाख, सानिवि, डेगाना तह. डेगाना के 30 कार्यों हेतु राशि रूपयें 75.00 लाख, सानिवि, डेगाना तह. मुण्डवा के 33 कार्यों हेतु राशि रूपयें 82.02 लाख, सानिवि, डेगाना तह. रियांबडी के 09 कार्यों हेतु राशि रूपयें 22.31 लाख, सानिवि, मेडता तह. मेडता के 25 कार्यों हेतु राशि रूपयें 62.50 लाख एवं सानिवि, मेडता तह. रियांबडी के 15 कार्यों हेतु राशि रूपयें 37.50 लाख **कुल 237 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 591.83 लाख (अक्षरे रूपये पांच करोड़ इक्कानवें लाख तिरासी हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

### 4. शर्त:-

**कुल 1024 विद्यालय भवनों हेतु राशि रूपयें 2048.00 लाख, कुल 259 चिकित्सा भवनों हेतु राशि रूपयें 516.52 लाख एवं कुल 237 आगनबाडी भवनों हेतु राशि रूपयें 591.83 लाख कुल 1520 कार्यों हेतु राशि रूपयें 3156.35 लाख (अक्षरे रूपये नौ करोड़ तेरह लाख पचास हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।

**Signature valid**

Digitally signed by Shefali Kushwaha  
Designation : Deputy Secretary To  
Government  
Date: 2025.10.09 14:10:41 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
18203641

eSign 1.0

7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
8. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
9. जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
11. इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।  
इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा:-  
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत  
02- बाढ़, चक्रवात आदि।  
107- खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना  
(02)-(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)  
[01]-[बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]  
21-अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)  
(राज्य निधि 25 प्रतिशत)
12. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराए जा सकेंगे।
13. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
14. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिये ही किया जावे।
15. विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जावे।
16. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
17. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।
18. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखें जावे।

(शैफाली कुशवाहा)  
शासन उप सचिव

**Signature valid**

Digitally signed by Shafali Kushwaha  
Designation : Deputy Secretary To  
Government  
Date: 2025.10.09 14:10:41 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
18203641

eSign 1.0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. जिला कलक्टर, **नागौर** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

अति. जिला परि. कार्या. समसा नागौर, तहसील एवं ब्लॉक मेडता के विद्यालय भवन मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र.सं. 01 में बीडीओ ऑफिस हेतु राशि 2.00 लाख की मांग की गयी है, जो नॉर्म्स अनुसार देय नहीं है। प्रस्ताव के शेष कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

नगर परिषद नागौर तह. नागौर के सड़क मरम्मत के प्रस्तावों में नगर परिषद के क्षेत्राधिकार के कार्य एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत नहीं होने के कारण उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

8. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
9. कोष कार्यालय, नागौर।

शासन उप सचिव

**Signature valid**

Digitally signed by Shefali Kushwaha  
Designation : Deputy Secretary To  
Government  
Date: 2025.10.09 14:10:41 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
18203641

eSign 1.0